प्रारम्भिक वक्तव्य

माननीय सदस्यगण,

पंचम् झारखण्ड विधानसभा के अष्टम् (बजट) सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन।

राष्ट्र निर्माण के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम अपने गणतंत्र के 73वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा युवा राज्य अपने निर्माण के 22वें वर्ष में पहुँच कर विकास की नई ऊँचाईयों पर चढ़ने को आतुर है। राज्य निर्माण के लम्बे चले आंदोलन के बीच हमने जिन संकल्पों को अंगीकार किया था यह समय उन संकल्पों को मूर्त्त रूप प्रदान करने का है। पिछले दो वर्षों के दौरान कोविड महामारी ने पूरे मानवता के अस्तित्व पर गहरा संकट पैदा कर दिया था। हमारी जीवन पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन इस महामारी के कारण आ गये। यह संतोष की बात है कि सरकार की सजगता और टीकाकरण में लाई गई तेजी के कारण यह महामारी तत्काल ढलान की ओर है, ऐसे में जन-जीवन एवं आर्थिक गतिविधियों के सामान्य होने की भी सम्भावनाएँ बढ़ी हैं।

राज्य सरकार के इस तीसरे बजट सत्र में हम सबों के साथ राज्य की साढ़े तीन करोड़ जनता की आकांक्षाएँ जुड़ी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बजट सत्र के माध्यम से हम राज्य में विकास की गति को और तेज कर पायेंगे और राज्य की साढ़े तीन करोड़ जनता के जीवन को और खुशहाल बना सकेंगे।

माननीय सदस्यगण, कोरोना महामारी के सम्भावित पटाक्षेप के बीच अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में रूस और यूक्रेन के बीच गहराते संघर्ष की छाया का विकास की हमारी आकांक्षाओं पर पड़ने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभावित होने से लोगों के जन-जीवन पर जो प्रभाव सम्भावित हैं उसके निराकरण की जिम्मेवारी भी हम सब पर है।

माननीय सदस्यगण, सत्र के सफल संचालन में आपकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है, क्योंकि सदनरूपी जीवंत मंच से राज्य की समस्याओं का निराकरण हो पाता है। यह सब सार्थक विचार-विमर्श और संसदीय मर्यादाओं और परम्पराओं के पालन से ही सम्भव हो पायेगा।

माननीय सदस्यगण, सदन में सत्ता और विपक्ष की अपनी-अपनी सार्थक भूमिका है, जो प्रजातंत्र रूपी सरिता में निरंतर प्रवाहमान रहते हैं। सदन में जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी मिलकर राज्य के विषय में चिंतन-मंथन करते हैं। सदन प्रजातंत्र का आधारस्तम्भ है, जिसके द्वारा जनता विधान सभा में होने वाली कार्यवाहियों के माध्यम से सदन में अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के आचरण और कार्यवाही में भागीदारी का आकलन करती है। हम सभी का यह दायित्व है कि अपने आचरण और व्यवहार को मर्यादित रूप में प्रस्तुत कर सदन के समय का सदुपयोग करने में अपनी सार्थक भूमिका निभाएँ, जिससे जनोपयोगी जन सरोकार से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को उठाने का अवसर मिल सके। मुझे पूर्ण विश्वास है, आप सभी का सकारात्मक सहयोग राज्य हित में निश्चित रूप से प्राप्त होगा।

माननीय सदस्यगण, विधान सभा के इस बजट सत्र में कुल 17 बैठकें निर्धारित हैं, जिसमें सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 का आय-व्ययक का उपस्थापन किया जाएगा। आप सभी माननीय सदस्यों को सदन में उपस्थापित होने वाले बजट की अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सरकार की योजनाओं की समीक्षा एवं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सार्थक बहस के अवसर प्राप्त होंगे। बजट प्रस्ताव, अनुदान की मांगों और कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों से कई जनोपयोगी और सार्थक सुझाव आते हैं, जिसे आने वाले वित्तीय वर्ष के बजट या चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट में समाविष्ट किया जा सकता है।

माननीय सदस्य, इस सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के निमित्त आप सभी को संबोधित करेंगे। सदियों से स्थापित संसदीय परम्परा के अनुसार सभा में "माननीय राज्यपाल के अभिभाषण" को अत्यंत गरिमा और प्रतिष्ठा का अवसर माना जाता है। इस अवसर की पवित्रता और महत्ता को देखते हुए सभा के माननीय सदस्यों से अनुशासन एवं शालीनता के सिद्धान्तों का अनुपालन करते हुए सभा में व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।

माननीय राज्यपाल महोदय से निम्नांकित आशय का संदेश मुझे प्राप्त हुआ है, यद्यपि इस संदेश को पूर्व में ही आपको प्रेषित किया जा चुका है तथापि मैं इसे पढ़कर आपको सुना देना चाहता हूँ।

संदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद-176 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, रमेश बैस, झारखण्ड का राज्यपाल, एतद् द्वारा झारखण्ड विधान सभा को दिनांक-25 फरवरी, 2022 को 11.30 पूर्वाह्न में संबोधित करना चाहता हूँ और इस हेतु झारखण्ड विधान सभा के सभा वेश्म, राँची में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूँ।

राँची
दिनांक-28 जनवरी, 2022

ह0/-
(रमेश बैस)
झारखण्ड के राज्यपाल

मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब माननीय राज्यपाल महोदय सदन में उपस्थित हों तो आप सभी अपने सीट पर विराजमान रहकर अभिभाषण को शालीनता के साथ सुनेंगे और पूरे अभिभाषण के दौरान सदन में व्यवस्था बनाए रखेंगे। कोई सदस्य इस दौरान ना तो सभा से बाहर जाएँगे और ना ही सदन के अंदर प्रवेश करेंगे।

अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय की अगवानी के लिए थोड़ी देर के लिए सदन से बाहर जा रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में उनकी अगवानी से आगमन और अभिभाषण के बाद उनकी विदाई तक के लिए मेरे सदन से बाहर रहने की अवधि में भी आप सभी माननीय सदस्य सदन में अपने स्थान पर बैठकर व्यवस्था बनाए रखने की असीम कृपा करेंगे।